मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमॉक 405 /आर. 147/चार/ब–7/डीएमसी 2018 भोपाल दिनांक 08/03/2018

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय भोपाल ।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में मितव्ययता के संबंध में ।
संदर्भ :– वित्त विभाग का परिपत्र क्रमॉक – 08/2018/डीएमसी/ब–7/चार, भोपाल दिनांक 02/01/2018

000

संदर्भित पत्र द्वारा वर्ष 2017–18 की शेष अवधि के लिये निम्नांकित मदों के अंतर्गत प्रावधानित बजट राशि में से व्यय को निम्नानुसार नियंत्रित करने का निर्णय लिया गया था :–

(1) वर्ष 2017–18 में व्यवसायिक सेवाओं के लिये भुगतान वर्ष 2016–17 में विभाग अंतर्गत इस मद अंतर्गत समग्र व्यय की सीमा तक सीमित रखा जाये ।

(2) वर्ष 2017–18 में संधारण मद अंतर्गत व्यय विभागवार वर्ष 2016–17 में इस मद अंतर्गत समग्र व्यय की सीमा तक सीमित रखा जाये ।

(3) वर्ष 2017–18 में कार्यालय व्यय (बिजली एवं जल प्रभार, दूरभाष, किराया महसूल एवं कर छोड़कर) अंतर्गत भुगतान वर्ष 2016–17 के लिये विभाग में इस मद अंतर्गत समग्र व्यय की सीमा तक सीमित रखा जाये।

(4) कार्यालयीन उपकरण, वाहनों एवं सामग्री के कय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाये ।

2/– कई योजनाएं, जो वर्ष 2016–17 तक नॉन प्लान योजना के रूप में संचालित थीं, वर्ष 2017–18 से प्लान एवं नॉन प्लान के विभक्तिकरण की समाप्ति के पश्चात् दो भागों में विभक्त हो गई हैं – मूल योजना एवं प्लान के अंतर्गत सेग्मेन्ट कोड के साथ (उदाहरणस्वरूप– सेग्मेन्ट 0101, 0102 एवं 0103)। योजनाओं के इस विभक्तिकरण के कारण वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित पत्र के कियान्वयन में कतिपय विभागों को कठिनाई उत्पन्न हो रही थी ।

3/– इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि संदर्भित पत्र से लागू प्रतिबंध समेकित रूप से योजना स्तर (scheme level, scheme as a whole) पर लागू होंगे न कि विभक्त रूप में, जैसा कण्डिका 2 में उल्लेखित है ।

//2//

4/- वर्ष 2016-17 में अगर कोई योजना संचालित नहीं थी और वर्ष 2017-18 में उस योजना को नवीन योजना के रूप में शामिल किया गया है, ऐसे में संदर्भित पत्र के प्रतिबंध उक्त योजना के अंतर्गत किए गए पुनरीक्षित अनुमान प्रावधान पर लागू होंगे ।

5/- संदर्भित पत्र के शेष प्रावधान यथावत लागू रहेंगे ।

6/- राज्य शासन के कोष से देयक/चेक्स के आहरण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमॉक - .एल 1-10 /1157 /2017 / ब-7/ डीएमसी/ चार भोपाल दिनांक 09/10/2017 यथावत लागू रहेगा ।

(अजीत कुमार)
संचालक, बजट एवं सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल

पृ0कमॉक 706 /आर. 147/चार/ब-7/डीएमसी 2018
भोपाल दिनांक 08/03/2018

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचित । प्रश्नाधीन बजट शीर्ष के बजट सीमा को परिपत्र में उल्लेखित सीमा तक सीमित करने का अनुरोध है ।
2. समस्त बजट शाखायें वित्त विभाग । परिपत्र में विहित प्रतिबंधों को शिथिल करने के प्रस्ताव पर संबंधित बजट शाखाओं द्वारा गुण-दोष आधारित परीक्षण कर अपर मुख्य सचिव, वित्त से आदेश प्राप्त किया जाए ।

(रूपेश पठवार)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल